रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102026-277517
CG-DL-E-30102026-277517

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5657] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 28, 2026/कार्तिक 6, 1948
No. 5657] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2026/KARTIKA 6, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5889(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले में नए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग, शामली - गोरखपुर (चरण-I) हाई-स्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर, के पैकेज-03 (कि.मी. 180.000 सेकि.मी. 214.350 तक) तक के भू-खण्ड के निर्माण (4-लेन/6-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), रामपुर को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले में नए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग, शामली-गोरखपुर (चरण-I) हाई-स्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर, केपैकेज-03 (कि.मी. 180.000 सेकि.मी. 214.350 तक) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: रामपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: स्वार					
गांव का नाम: मिलक काजी					
1	143	निजी	कृषि	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
2	144	सरकारी	चकरोड	0.0005 (हेक्टेयर)	0.0005
3	147	निजी	कृषि	0.0231 (हेक्टेयर)	0.0231
4	149	निजी	कृषि	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
5	150	निजी	कृषि	0.0123 (हेक्टेयर)	0.0123
6	159	निजी	कृषि	0.0902 (हेक्टेयर)	0.0902
7	160	निजी	कृषि	0.1159 (हेक्टेयर)	0.1159
8	163	सरकारी	चकरोड	0.0071 (हेक्टेयर)	0.0071
9	164	निजी	कृषि	0.0266 (हेक्टेयर)	0.0266
10	173	निजी	कृषि	0.0339 (हेक्टेयर)	0.0339
11	174	सरकारी	चकरोड	0.0014 (हेक्टेयर)	0.0014
12	177	निजी	कृषि	0.0366 (हेक्टेयर)	0.0366
13	180	निजी	कृषि	0.4668 (हेक्टेयर)	0.4668
14	185	निजी	कृषि	0.0283 (हेक्टेयर)	0.0283
15	202	निजी	कृषि	0.0854 (हेक्टेयर)	0.0854
16	96/216	निजी	कृषि	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
17	98	सरकारी	रास्ता	0.0039 (हेक्टेयर)	0.0039
गांव का नाम: समोदिया					
18	414	निजी	कृषि	0.0359 (हेक्टेयर)	0.0359
19	417	सरकारी	तालाब	0.0941 (हेक्टेयर)	0.0941

20	418	निजी	कृषि	0.1804 (हेक्टेयर)	0.1804
21	419	निजी	कृषि	0.1203 (हेक्टेयर)	0.1203
22	423	निजी	कृषि	0.0028 (हेक्टेयर)	0.0028
23	424	निजी	कृषि	0.0346 (हेक्टेयर)	0.0346
24	427	सरकारी	चकरोड	0.0095 (हेक्टेयर)	0.0095
25	430	निजी	कृषि	0.1042 (हेक्टेयर)	0.1042
26	431	निजी	कृषि	0.0121 (हेक्टेयर)	0.0121
27	432	निजी	कृषि	0.0084 (हेक्टेयर)	0.0084
28	433	सरकारी	चकरोड	0.0102 (हेक्टेयर)	0.0102
29	434	निजी	कृषि	0.0072 (हेक्टेयर)	0.0072
30	438	निजी	कृषि	0.0242 (हेक्टेयर)	0.0242
31	439	निजी	कृषि	0.0167 (हेक्टेयर)	0.0167
32	443	निजी	कृषि	0.0015 (हेक्टेयर)	0.0015
33	61	निजी	कृषि	0.0487 (हेक्टेयर)	0.0487
34	62	सरकारी	चकमार्ग	0.0027 (हेक्टेयर)	0.0027
35	63	सरकारी	सड़क/नाली	0.0033 (हेक्टेयर)	0.0033
36	64	सरकारी	सड़क	0.0026 (हेक्टेयर)	0.0026
37	65	सरकारी	सड़क/नाली	0.0029 (हेक्टेयर)	0.0029
38	67	निजी	कृषि	0.0038 (हेक्टेयर)	0.0038
				Total	**1.6741**

[फा. सं. E-300448/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2026

S.O. 5889(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (four lane/six lane etc.), maintenance, management and operation of **Km. 180.000 to Km. 214.350**, **Package-03 of the newly proposed High Speed Access Controlled Corridor from Shamli - Gorakhpur (Phase-I)** hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, ADM (Finance/ Revenue), Rampur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making

such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Km. 180.000 to Km. 214.350, Package-03 of the newly proposed High Speed Access Controlled Corridor from Shamli - Gorakhpur (Phase-I) in Rampur District of the State of Uttar Pradesh.

State: UTTAR PRADESH			**District: RAMPUR**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Suar					
Village: Milak Kazi					
1	143	Private	Agriculture	0.003 (Hectare)	0.003
2	144	Government	Chakroad	0.0005 (Hectare)	0.0005
3	147	Private	Agriculture	0.0231 (Hectare)	0.0231
4	149	Private	Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
5	150	Private	Agriculture	0.0123 (Hectare)	0.0123
6	159	Private	Agriculture	0.0902 (Hectare)	0.0902
7	160	Private	Agriculture	0.1159 (Hectare)	0.1159
8	163	Government	Chakroad	0.0071 (Hectare)	0.0071
9	164	Private	Agriculture	0.0266 (Hectare)	0.0266
10	173	Private	Agriculture	0.0339 (Hectare)	0.0339
11	174	Government	Chakroad	0.0014 (Hectare)	0.0014
12	177	Private	Agriculture	0.0366 (Hectare)	0.0366
13	180	Private	Agriculture	0.4668 (Hectare)	0.4668
14	185	Private	Agriculture	0.0283 (Hectare)	0.0283
15	202	Private	Agriculture	0.0854 (Hectare)	0.0854
16	96/216	Private	Agriculture	0.008 (Hectare)	0.008
17	98	Government	Rasta	0.0039 (Hectare)	0.0039
Village: Samodiya					
18	414	Private	Agriculture	0.0359 (Hectare)	0.0359
19	417	Government	Talab	0.0941 (Hectare)	0.0941
20	418	Private	Agriculture	0.1804 (Hectare)	0.1804
21	419	Private	Agriculture	0.1203 (Hectare)	0.1203
22	423	Private	Agriculture	0.0028 (Hectare)	0.0028
23	424	Private	Agriculture	0.0346 (Hectare)	0.0346
24	427	Government	Chakroad	0.0095 (Hectare)	0.0095
25	430	Private	Agriculture	0.1042 (Hectare)	0.1042
26	431	Private	Agriculture	0.0121 (Hectare)	0.0121
27	432	Private	Agriculture	0.0084 (Hectare)	0.0084
28	433	Government	Chakroad	0.0102 (Hectare)	0.0102
29	434	Private	Agriculture	0.0072 (Hectare)	0.0072
30	438	Private	Agriculture	0.0242 (Hectare)	0.0242
31	439	Private	Agriculture	0.0167 (Hectare)	0.0167

32	443	Private	Agriculture	0.0015 (Hectare)	0.0015
33	61	Private	Agriculture	0.0487 (Hectare)	0.0487
34	62	Government	Chakmarg	0.0027 (Hectare)	0.0027
35	63	Government	Sadak/Nali	0.0033 (Hectare)	0.0033
36	64	Government	Sadak	0.0026 (Hectare)	0.0026
37	65	Government	Sadak/Nali	0.0029 (Hectare)	0.0029
38	67	Private	Agriculture	0.0038 (Hectare)	0.0038
				Total	**1.6741**

[F. No. E-300448/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.10.30 17:33:41 +05'30'